(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 416–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–1–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 310/अपील/14–15.

1– हल्कीबाई पत्नी स्व. सिद्दूलाल
2– विष्णु आत्मज स्व. सिद्दूलाल
निवासीगण ग्राम सलैया
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– शिवनारायण
2– राधेश्याम
3– राजमल
4– रमेश
5– बद्रीप्रसाद
6– द्वारका प्रसाद पुत्रगण बालमुकुंद
निवासीगण ग्राम सलैया
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री वीरेन्द्र मालवीय, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 107 के अंतर्गत ग्राम सनाखेड़ी स्थित भूमि पुराना सर्वे कमांक 13/2 (क) रकबा 7.74 एकड़, जिसका नया सर्वे कमांक 48 है, के नक्शे में हुई त्रुटि के सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 23/अ–6–अ/2006–07 दर्ज कर दिनांक 12–1–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत नक्शा सुधार प्रस्ताव के अनुसार नक्शे में संशोधन के आदेश दिये गये । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित सुधार से किसी भी रूप से शासन का हित प्रभावित नहीं होना चाहिए । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–1–2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 29–12–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ रखा गया था कि आवेदकगण के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को के संदर्भ में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के मेड़िया कृषक हैं, इसके बावजूद भी कलेक्टर द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया ।

(2) तहसीलदार द्वारा भी जॉच के दौरान आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर आदेश पारित किया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विकय कर दिया गया है, जबकि उनके द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि के विकय को व्यवहार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है, और वे प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी हैं । अतः अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि पर कॉलोनाईजर द्वारा बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 107 के अंतर्गत बन्दोबस्त त्रुटि को सुधारा नहीं जा सकता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा अपनी भूमि का विक्रय किया जा चुका है, और उनके पास कोई भूमि शेष नहीं है, इसलिए उन्हें अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था ।

(2) संहिता की धारा 50 के अंतर्गत केवल व्यथित व्यक्ति को ही निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार है, और आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश से परिवेदित नहीं हैं ।

(3) अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट है कि बंदोबस्त के दौरान में नक्शे में अनेक त्रुटियां हुई हैं, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा नक्शा सुधार का आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

(4) कलेक्टर द्वारा विधिवत अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार से जॉच कराई जाकर प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश पारित किया गया है ।

(5) तहसीलदार के समक्ष जॉच के समय सभी हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा अपना पक्ष रखा गया है, और उनको सुनकर ही तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

(6) सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित नक्शा सुधार से किसी भूमिस्वामी के कोई हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं ।

(7) आवेदक द्वारा उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि पर बहुमंजिला भवन का निर्माण होने से संहिता की धारा 107 के अंतर्गत बंदोबस्त की त्रुटि सुधार नहीं की जा सकती है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर कोई अनुज्ञा त्रुटिपूर्ण हो जाता है, तब नक्शे में संशोधन किया जा सकता है, और किसी अन्य की भूमि पर निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है ।

तर्कों के समर्थन में 1966 आर.एन. 145, 1980 आर.एन. 104, 1980 आर.एन. 61 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखे से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त

द्वारा इस आधार पर अपील निरस्त की गई है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया जा चुका है, जबकि व्यवहार न्यायालय से उक्त विक्रय पत्र शून्य घोषित हो चुका है । अतः अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष व्यवहार न्यायालय के आदेश के विपरीत होने से उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है, कलेक्टर ने भी आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । कलेक्टर द्वारा आवेदकगण की आपत्ति का उल्लेख तो आदेश में किया गया है, परन्तु उसके सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष आदेश में नहीं निकाला गया है । इस प्रकरण की स्थिति को देखते हुए यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निराकरण हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–1–2016 एवं कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–1–2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर